**संख्या-982/2018/1886/22-2-2018-17(142)/2009**

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 31 दिसम्बर, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामहित उर्फ चिरकुट पुत्र श्री कोदई, निवासी जनपद-गोरखपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-दया0 (दिनांक 07.08.2018) दिनांक 06-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामहित उर्फ चिरकुट पुत्र श्री कोदई, जो नि0-विशुनपुर बुजुर्ग, थाना-खोरावार, जनपद-गोरखपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा सभापति के चुनाव में उपजे विवाद को लेकर दिनांक 19.06.1973 को 50 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, फरसा, बल्लम व देशी कट्टों से मारकर 09 व्यक्तियों की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-414/1974 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 359, 307/149, 324/149, 201/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय द्वतीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोरखपर के आदेश दिनांक 24.04.1974 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2001 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.02.2018 तक 19 वर्ष 02 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 05 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी की समयपूर्वरिहाई की संस्तुति की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के किये गये अपराध को समाज में व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। समिति द्वारा बंदी के कारित अपराध की प्रकृति तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामहित उर्फ चिरकुट (बन्दी संख्या-42215) पुत्र श्री कोदई, निवासी जनपद-गोरखपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

**संख्या-982/2018/1886(1)/22-2-2018 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in